न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/117 **दायरा दिनांक : 28.09.2021**

उनवान

विद्या सागर पुत्र श्री गोमन्दा दत्तक पुत्र श्री मांगीलाल, जाति धाकड, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– मिट्टूलाल पुत्र श्री छगनलाल, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
2– रतनलाल पुत्र श्री छगनलाल, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
3– धापू बाई बेवा श्री छगनलाल, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
4– मृतक नाथू लाल
4/1– शिवनारायण पुत्र नाथूलाल, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
4/2– सीताराम पुत्र नाथूलाल, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
5– मृतक बलराम
5/1– गंगाधर पुत्र बलराम, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
5/2– रामकुंवार पुत्र बलराम, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
6– बाबूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
7– देवकरण पुत्र मांगीलाल, जाति तेली, निवासी रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान
8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक :22.02.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 01/2009 निर्णय दिनांक व डिक्री 31.08.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम माल रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां में आराजी खसरा नं. हाल 364 रकबा 3.63 हेक्टर व खसरा नम्बर 365 रकबा 0.64 हेक्टर व खसरा नम्बर 367 रकबा 0.20 हेक्टर कुल तीन किता रकबा 4.47 हेक्टर लगानी 44.70 पैसा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि के साबिक खसरा नं. सैटलमेंट से पूर्व जमाबंदी सं. 2035 के अनुसार खसरा नं. 364 व 365 पुराने नं. 370 मिन जो कि मूल नं. 370 के भाग है जिसका रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं खसरा नं. 367 के साबिक नं. 368 थे जिसका रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा दर्ज था तथा कुल रकबा सैटलमेंट से पूर्व जमाबंदी के अनुसार 29 बीघा 9 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2021 से वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 आर. टी. एक्ट का प्रस्तुत कर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु पेश किया था। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायलय द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिससे पीड़ित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट/वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के विरूद्ध जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् एक तरफा कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जबकि अपीलांट/वादी द्वारा अपनी साक्ष्य व दो अन्य स्वतंत्र गवाहों को पेश कर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर जमाबंदी व विक्रय पत्र का प्रदर्शित करवाया है जबकि रेस्पोडेंट के द्वारा अपने जवाब और काउंटर क्लेम के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर दिया गया है जो पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मात्र यह कहते हुए कि संवत 2038 से 2057 के सैटलमेंट से पूर्व अपीलांट/वादी का नाम जर्ये इंतकाल नं. 105 से दर्ज हो गया था, सैटलमेंट के पश्चात् सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त इंतकाल नं. 105 की प्रविष्टि को हटाने के कारण उक्त प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट का बनना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त टिप्पणी व आदेश इस बिना पर दावा खारिज करना मौजूदा कानून के विपरीत है, क्योंकि कानून का निर्वचन करना न्यायालय का काम है, वादी वाद पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखता है तथा समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश करता है, प्रकरण कौन सी धारा का बनता है यह देखना न्यायालय का काम है, जब अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रकरण को 136 एल आर एक्ट का माना गया है तो उक्त प्रावधान के तहत भी दावा खारिज करने का आधार अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी निर्णय में नहीं दिया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2021 बउनवान मुकदमा विद्या सागर बनाम मिट्टूलाल वगैरह वाद संख्या 01/2009 निरस्त किया जाकर दावा डिक्री किये जाने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम माल रानीहेडा, तहसील बारां, जिला बारां में विवादित आराजी किता 3 रकबा 4.47 हेक्टर स्थित है। खसरा नम्बर 364 व 365 पुराना खसरा 370 से बने है। जिनका रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा है। वादी/अपीलांट द्वारा साबिक खसरा नम्बर 370 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा भूमि जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 29.07.1978 को प्रतिवादीगण से क्रय कर उक्त आराजी में दखल प्राप्त किया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 105 से वादी/अपीलांट बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी संवत 2035 से नाम दर्ज हो गया था। दौराने सेटलमेंट संवत 2038 से 57 वादी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटा दिया गया।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा के साथ करेक्शन ऑफ रिकोर्ड ऐन्ट्री कराने का भी अधिकार रखता है क्योंकि धारा 136 एल आर एक्ट का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है जिसमें केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है परन्तु वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2032 से 2035 में नामा0 सं. 105 से खसरा नं. 370 की 5 बीघा भूमि विद्यासागर धाकड के नाम दर्ज होने का नोट अंकित है। वादी

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिकोर्ड से यह सिद्ध होता है कि वादी अपीलांट द्वारा खसरा नं. 370 की भूमि में से 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की थी, इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में वादी अपीलांट जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खसरा नं. 370 की 5 बीघा अपनी कयशुदा आराजी बाबत घोषणा प्राप्त कर खातेदार घोषित होने के साथ ही रिकोर्ड में अंकित हुई गलतियों को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अभिभाषक वादी की लिखित बहस एवं प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि वादी द्वारा खसरा नं. 370 की भूमि में से 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की थी परन्तु सैटलमेंट के समय सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादी के द्वारा कय की गई भूमि का रकबा कम कर दिया गया अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित उक्त कथन के आधार पर भी वादी/अपीलांट अपनी कयशुदा भूमि की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी कारण वादी अपीलांट द्वारा धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी 136 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिकार्ड दुरूस्ती करवा सकता है। वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है, जो सैटलमेंट अधिकारी द्वारा की गई गलतियों को दुरूस्त करने के लिए नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 10 के रूप में दर्ज हो चुके हैं और जो साक्ष्य प्रस्तुत की जा चुकी है उनके आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था जिसका निर्णय में अभाव है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2021 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.04.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/02/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा